न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0एक्ट/अपर
जिला एंव सत्र न्यायाधीश,लखनऊ ।

सत्र परीक्षण स0.403/2014

सरकार.....बनाम.....रंगीलाल व अन्य

आरोप

मैं, अविनाश सक्सेना, विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट, लखनऊ एतद्द्वारा आप **रंगीलाल उर्फ शोभा** व **अर्जुन प्रसाद शुक्ला** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूॅः—

1. यह कि दिनांक 26—4—12 को समय करीब 6 बजे शाम,स्थान ग्राम देई टीकर थाना गोसाईगंज लखनऊ से आप लोगों ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा श्रीमती निर्मला,जो कि अनुसूचित जाति की सदस्या है,को अपहृत कर मोटर साईकिल में बैठाकर ग्राम हुसैनाबाद थाना नगराम लखनऊ इस आशय से ले गये ताकि उसके साथ अयुक्त सम्भोग किया जा सके। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की **धारा 366** के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त तिथि,समय व स्थान को आप लोगों ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी श्रीमती निर्मला का अपहरण के पश्चात,आप रंगीलाल ने उसे अपने घर में 18 दिन तक बन्धक बनाये रखा। इस प्रकार आपके द्वारा भादंस की धारा **344** के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया गया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त तिथि,समय व स्थान को आप लोगों ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी श्रीमती निर्मला जो कि अनुसूचित जाति की सदस्या है, का अपहरण,करने के बाद विभिन्न तिथियों व विभिन्न स्थानों पर, उसके साथ उसकी इच्छा के बिरूद्व बलातसंग कारित किया। इस प्रकार आपने भादंस की धारा **376 सपठित धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधि0** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(अविनाश सक्सेना)
दिनॉक 09—06—17 विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,लखनऊ।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की याचना की ।

(अविनाश सक्सेना)
दिनॉक 09—06—17 विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0एक्ट/अपर
जिला एंव सत्र न्यायाधीश,लखनऊ ।

सत्र परीक्षण स0.403/2014

सरकार.....बनाम.....रंगीलाल व अन्य

आरोप

मैं, अविनाश सक्सेना, विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट, लखनऊ एतद्द्वारा आप **श्रीमती सुनीता** व **श्रीमती बृजरानी उर्फ सुन्दारा** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:–

1. यह कि दिनांक 26–4–12 को समय करीब 6 बजे शाम,स्थान ग्राम देई टीकर थाना गोसाईगंज लखनऊ से आप लोगो ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा श्रीमती निर्मला,जो कि अनुसूचित जाति की सदस्या है, का अपहरण करने के पश्चात, उसे अपने घर में 18 दिन तक बन्धक बनाकर रखा तथा उसे तरह–तरह की प्रताडना दी। इस प्रकार आपके द्वारा भादंस की धारा **344 सपठित धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधि0** के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया गया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(अविनाश सक्सेना)
दिनॉक 09–06–17 विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,लखनऊ।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की याचना की ।

(अविनाश सक्सेना)
दिनॉक 09–06–17 विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0एक्ट/अपर
जिला एंव सत्र न्यायाधीश, लखनऊ ।

सत्र परीक्षण स0:208/2016

सरकार बनाम कृष्ण शर्मा

17.05.17

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आरोप विरचन हेतु नियत है। आरोप के बिन्दु पर उभय पक्ष को सुना गया।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय का ध्यान मामले में केस डायरी तथा अन्य पुलिस प्रपत्रों की ओर आकृष्ट करते हुये कहा गया कि अभियुक्तकृष्ण शर्मा के बिरूद्व धारा 376,366,343,506 भादंस व 3(2)5 एस.सी.एस.टी.एक्ट में आरोप बनाये जाने हेतु विवेचक द्वारा विवेचना के अनुक्रम में पर्याप्त साक्ष्य संकलित किया गया है उसके आधार पर अभियुक्त के बिरूद्व उपरोक्त धाराओं के अधीन आरोप विरचित किया जाता है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि केस डायरी एवं विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य धारा 161 दप्रसं के आधार पर अभियुक्त के बिरूद्व आरोप नहीं बनता है अतः अभियुक्त को उन्मोचित किया जाय।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

आरोप विरचन के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा अवधारित विधि व्यवस्था उडीसा राज्य बनाम देवेन्द्र नाथ पंधी,एआईआर 2005,एस0सी0 पेज 359 सम्बन्धी प्रकरण में यह सिद्वान्त प्रति पादित किया गया है कि आरोप विरचित किये जाते समय अभियुक्त के बचाव को महत्व नही दिया जायेगा। मामले का सूक्ष्य परीक्षण(MINI TRIAL)अनुमन्य नहीं है। तदनुरूप आरोप विरचित किया जाता है अथवा प्रसंज्ञान लिया जाता है। अभियुक्तगण को कोई साक्ष्य अथवा सामग्री प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बलविन्दर सिंह बनाम पलविन्दर सिंह व अन्य बनाम,2009,(1)जेआईसी,पेज 73, सम्बन्धी प्रकरण में यह अवधारित किया गया है कि आरोप विरचित किये जाते समय न्यायालय का क्षेत्राधिकार अत्यंत सीमित है तथा आरोप गम्भीर सम्भावनाओं के आधार पर चिरचित किया जा सकता है आरोप तय किये जाने के स्तर पर साक्ष्य की विवेचना किये जाने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त नही है।

यही सिद्वान्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बनाम मोहन लाल सोनी, (2000)6,एससीसी,पेज 338, तथा मध्य प्रदेश राज्य बनाम,एस0पी0जौहरी,(2000)2,एससीसी,पेज 57, एवं महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रिया शरण महाराज एवं अन्य,(1997)4,एससीसी पेज 393 सम्बन्धी प्रकरण में भी यही अभिमत प्रति पादित किया गया है कि आरोप विरचन किये जाने के स्तर पर साक्ष्य के विस्तृत निर्वचन की आवश्यकता नही होती है।

उपरोक्त निर्णयज विधि व्यवस्थाओं के अनुरूप मैंने पत्रावली का परिशीलन किया। तथा विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य का परीक्षण किया। उक्त निर्णय विधियों एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर मैं यह पाता हूॅ कि अभियुक्तगण उपरोक्त के बिरूद्व धारा 427,504 भादंस व 3(1)10एस.सी.एस.टी.एक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण कृष्ण शर्मा के बिरूद्व धारा 376,366,343,506 भादंस व 3(2)5 एस.सी.एस.टी.एक्ट के अधीन आरोप विरचित किया गया । अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया गया अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया व परीक्षण की मॉग व्यक्त की। अभियोजन साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनॉक 17–06–17 के लिये नियत हो। साक्षीगण नियत तिथि हेतु तलब हों।

विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0एस0टी0एक्ट,लखनऊ।